दिनांक 04.03.2023 को जिलाधिकारी महोदया पिथौरागढ़ की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक का कार्यवृत्त

1. अ–उपस्थिति– संलग्नक परिशिष्ट
2. ब– स्थान विकास भवन सभागार, समय 12.30 अपरान्ह।

सर्वप्रथम महाप्रबन्धक/सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदया एवं सदन में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

बिन्दु सं0 01 : औद्योगिक आस्थान बिण में रिक्त भूखण्डों के आवंटन पर विचार– महाप्रबन्धक उद्योग द्वारा अवगत कराया गया कि औद्योगिक आस्थान बिण में 22 प्लाट (क्षेत्रफल 5691.96 वर्ग मीटर) एवं 09 प्लाट (क्षेत्रफल 1958.75 वर्गमीटर है) कुल 31 प्लाट, जिनमें उद्यमियों से उद्योग स्थापना हेतु विभागीय वेबसाईट www.investuttarakhand.com पर प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों का भूखण्ड आंवटन किया जाना है। भूखण्ड आवंटन हेतु निदेशक उद्योग निदेशालय देहरादून द्वारा समाचार पत्रों में दिनांक 6.6.2021 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 26.5.2022 को हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला दैनिक समाचार पत्रों में पुनः विज्ञप्ति जारी की गयी तथा विभागीय वेबसाइट www.investuttarakhand.com पर ऑनलाईन पोर्टल में दिनांक 30 मई 2022 से 29 जून 2022 तक आवेदन पत्र मांगे गये थे। उक्त जारी विज्ञप्ति के कम में ऑनलाईन पोर्टल में कुल 37 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। आवेदकों द्वारा ऑनलाईन वेबसाईट में निम्नानुसार निर्धारित शुल्क भी जमा किया गया।

क. 200 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड/शेड हेतु रू0 2000.00

ख. 200 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्ड/शेड हेतु रू0 5000.00

समस्त प्राप्त आवेदनों का प्रवाहचार्ट में दिये गये निर्देशो के अनुसार मूल्यांकन हेतु निर्धारित कसौटी (criteria for evaluation) एक्सल शीट में ब्यौरा तैयार किया गया, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। शासनादेशनुसार आवंटन को त्रुटिहीन एवं पारदर्शी बनाये जाने के उद्देश्य से जिला प्राधिकृत समिति आवेदन पत्रों में विचार/निर्णय से पूर्व पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी ले सकती है। साक्षात्कार हेतु समस्त आवेदकों को पत्र एवं दूरभाष के माध्यम से उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया है। आवंटन हेतु आरक्षण के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया गया कि अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आवंटन हेतु उपलब्ध भूखण्डों/शेडो की कुल संख्या का 10 प्रतिशत तथा दिव्यांग के लिए आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भूखण्ड/शेडो की कुल संख्या का 3 प्रतिशत आरक्षण रखा जायेगा। कुल 31 भूखण्ड रिक्त है उपरोक्त नियमानुसार 03 भूखण्ड अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु तथा 01 भूखण्ड दिव्यांग हेतु आरक्षित रखा जाना है। कुल प्राप्त 37 आवेदन में से 02 आवेदन अनुसूचित जाति के प्राप्त हुए है जिनमें से एक 01 आवेदक द्वारा आवेदन निरस्त किये जाने हेतु पत्र दिया गया है। 01 दिव्यांग द्वारा आवेदन किया गया है। नीति में यह भी प्राविधानित है कि यदि दो बार विज्ञप्ति प्रकाशित करने के बाद भी इन श्रेणियों में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो निदेशक उद्योग की पूर्व स्वीकृति से सामान्य वर्ग के लोगों को शेड्स/भूखण्ड का आवंटन किया जा सकता है। मिनी औद्योगिक आस्थान बिण में भूखण्ड आवंटन हेतु 02 बार विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदया द्वारा महाप्रबन्धक उद्योग से नियमानुसार निदेशक उद्योग से सामान्य वर्ग को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।

प्राप्त आवेदन पत्रों को ऑनलाईन प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर कमानुसार पंजिका में दर्ज किया जाना है, तथा प्राप्त आवेदनों को evaluation report एवं आवेदन पत्रों को जिला प्राधिकृत समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत कराया गया कि आवंटन पश्चात् भूखण्ड के मूल्य का 10 प्रतिशत आवंटन आदेश जारी करते समय तथा शेष धनराशि का भुगतान 15 वार्षिक किश्तों में 6.5 ब्याज सहित वसूल किया जायेगा। उद्योग स्थापना हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने की पुष्टि होने पर आवंटन आदेश के प्रथम दो वर्षो से कोई किश्त निर्धारित नही होगी। आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि

तक भुगतान नहीं किया जाता है तो बकाया राशि पर 3.5 प्रतिशत दण्ड ब्याज भी लिया जायेगा। वर्तमान में औद्योगिक आस्थान में भूखण्ड की दर रू0 1440/– प्रति वर्गमीटर निर्धारित है जो कि सर्किल रेट का 40 प्रतिशत है।

तदुपरान्त आवंटन हेतु आवेदित उद्यमियों का साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार में 31 आवेदकों में से 25 आवेदक उपस्थित हुवे। 01 आवेदक श्रीमती रूपा पुनेड़ा द्वारा उपस्थिति सूची में हस्ताक्षर किए गए किन्तु साक्षात्कार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि किस उद्यमी को कौन सा प्लाट आवंटन किया जाना है, इसके निर्णय हेतु समिति पृथक से बैठक करेगी। साथ ही समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि आवंटन पश्चात उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों की जांच भी समय–समय समिति अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(कार्यवाही महाप्रबन्धक, जि0उ0के0)

अंत में सभी का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया गया।

सदस्य/सचिव
जिला उद्योग मित्र समिति,
पिथौरागढ़

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला उद्योग मित्र समिति

कार्यालय महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र पिथौरागढ़।

पत्रांक /उ0मि0बैठक/2022–23 दिनांक /03/2023

प्रतिलिपि– निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी महोदया, पिथौरागढ़।
4. समस्त सदस्य, जिला उद्योग मित्र समिति, पिथौरागढ़।

महाप्रबंधक
जिला उद्योग केन्द्र,
पिथौरागढ़।